स्थानीय प्रशासन की जनता के साथ संवाद प्रक्रिया

(विशेष संदर्भ-वाराणसी जिला)

एम. फिल. जनसंचार हेतु लघु शोध-प्रबंध का प्रारूप

सत्र : 2012-13

ज्ञान शांति मैत्री

शोधार्थी

सामन्त कुमार यादव

नामांकन संख्या-2012/03/208/005

संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित)

गांधी हिल्स, वर्धा-442005 (महाराष्ट्र) भारत

दूरभाष : 07152-251170, वेबसाइट: www.hindivishwa.org

प्रस्तावना

आदिकाल में कबीले का सरदार अपने लोगों को बुलाकर उनकी समस्याओं व भावनाओं को जानने का प्रयास करता था। वही स्वरूप आगे चलकर राजशाही में दरबार का रूप धारण कर लिया। जनता की भावनाओं को समझने के लिए उन्हें दरबार में आमंत्रित किया जाता था। उनकी राय ली जाती थी। दशरथ दरबार में राम को युवराज बनाने के लिए दशरथ ने दरबार बुलाकर विचार-विमर्श किया था। शासक जनता को अपनी संतान के रूप में मानत था । जनता से संवाद स्थापित करना अपना कर्तव्य मानता था । प्राचीन युग में भी राजा जनता से संवाद स्थापित करने के लिए भेष बदलकर राज्य का भ्रमण करते थे । इस तरह जनता की वास्तविक स्थिति के साथ समस्याओं के बारे में भी जानकारी हासिल करते थे। राजतंत्र में समय-समय पर जनता की भी भागीदारी होती थी। लोकतंत्र में जनता की सुविधा और सुदृढ़ शासन प्रणाली के लिए कई स्तर पर प्रशासकों की तैनाती की जाती है। लोकतंत्र में जनता और शासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के लिए जनता दरबार, तहसील दिवस आदि का आयोजन किया जाता है। तहसील दिवस द्वारा जनता अपनी बात सीधे तौर पर प्रशासन तक पहुंचा सकती है। बुद्ध ने भी चार आर्य सत्य में दुःख, दुःख का कारण, दुःख का निवारण, तथा दुःख न हो इसके उपाय भी सुझाए हैं। चार आर्य सत्य में दुःख ही प्रधान है। जनता दुःख यानी समस्या के निवारण कि लिए सक्षम व्यक्ति अर्थात प्रशासन से संवाद करने का प्रयास करती है। यही प्रयास आज के दौर में जनता दरबार, तहसील दिवस एवं थाना दिवस का रूप धारण कर रही है।

साहित्य पुनरावलोकन:

स्थानीय प्रशासन का जनता के साथ संवाद प्रक्रिया को समझने के लिए जिन पुस्तकों का अध्ययन किया गया है, उनकी सूची निम्न है-

मुखर्जी, आर.(1990). चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल. नई दिल्ली: राजकमल.

इस पुस्तक में कौटिल्य ने राजा के दिनचर्या के बारे में बताया है कि उसको प्रातःकाल साढ़े सात से नौ बजे तक दरबार में (उपस्थान) में बैठना चाहिए और वहां नगरवासी तथ ग्रामवासी जनता की समस्याओं पर विचार करना और उन्हें बिना किसी रोकटोक के दरबार में आने देना चाहिए।

हबीब ई. (2005). अकबर और तत्कालीन भारत. नई दिल्ली: राजकमल.

इस पुस्तक में लेखक ने अकब़र के शासन के बारे में बताया है। अकबर कालीन शासन में समस्याओं का हल दरबार में ढूढ़ते हुए बताया गया।

डब्ल्यू. एच. एम. अनुवादक. सिन्हा सुधाकिरण. अकबर की मृत्यु के समय का भारत. नई दिल्ली: ग्रंथ शिल्पी.

इस पुस्तक में बताया गया है कि जनता अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने विकास की चाह में दरबार में आती है। बादशाह के पास शासित लोग आजिविका की तलाश में दरबार में उपस्थित होकर अपनी बात कहते हैं।

थापर, आर. (2004). सोमनाथ इतिहास एक स्वर अनेक. नई दिल्ली: ग्रंथ शिल्पी.

इस पुस्तक में लेखक ने पृथ्वीराज के शासन की बात को बताया है। पृथ्वीराज अपने दरबार में कुछ समय बिताने के लिए कवि को कश्मीर से विशेष रूप से आमंत्रित करता है।

थापर, आर (1997). वंश से राज्य तक. नई दिल्ली: ग्रंथ शिल्पी.

इस पुस्तक में लेखक ने दरबार की व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। जैसे सभा किसी व्यक्ति को सभापति चुनती थी। सभा के सदस्यों के आसन निश्चित होते थे।

चौहान, डा. के. बी. सिंह.(2004). हम्मीरासो. जयपुर: ग्रंथ विकास.

इस पुस्तक में लेखक ने दरबार का उल्लेख करते हुए राज परिवार के प्रति वफादारी की बात बताई है, राजपरिवार के लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी के विषय में दरबार में चर्चा करते हुए बताया गया है।

मिश्र, अखिलेश.(2007).1857 अवध का मुक्ति संग्राम.नई दिल्ली: राजकमल. लारेंस का दरबार.

इस पुस्तक में लेखक ने अंग्रेजी शासन में दरबार के महत्व को दर्शाया है। राज्य की व्यवस्था के बारे दरबार में तकरीर करते बताया गया है।

वर्नियर, एफ. (2002). वर्नियर की भारत यात्रा. नई दिल्ली: अजय बुक सर्विस.

इस पुस्तक में लेखक ने अंतरराज्य के संबंधों की चर्चा दरबार में करते हुए लिखा है। दूसरे राज्य से संबंध के लोगों से संबंध का दरबार में चिंतन करते हुए दर्शाया है।

थापर, आर.(1990). आदिकाल भारत की व्याख्या. नई दिल्ली: ग्रंथ शिल्पी. इस पुस्तक में लेखक ने महाकाव्यकाल के दरबार की चर्चा की है। इसमें राजकुल की मर्यादाओं, शौर्य, और राजभक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखने के बारे में बताया है। इसमें राजा को दरबार का केंद्र बिन्दु बताया गया।

शोध की प्रासंगिकता:

प्रशासन का लक्ष्य है कि वह जनभावनाओं को समझे और उनकी समस्याओं का निवारण करे। उन्हें जीवन जीने के लिए ऐसा वातावरण प्रदान करे जिसमें वे प्राकृतिक रूप से अपने जीवन का निर्वहन कर सकें। चूंकि प्रशासन का कार्यक्षेत्र बड़ा होता है, जहाँ उन्हे काम करना होता है। इसके लिए प्रशासन किस प्रकार जनता के लिए उपलब्ध होता है ? इसके लिए प्रशासन जनता की भावनाओं को समझ रहे हैं या नहीं ? उनकी आधारभूत समस्याओं का निराकरण कर पा रहे हैं कि नहीं ? इन सभी पक्षों को उजागर करने की आवश्यकता है। प्रशासन व्यस्त होता है लेकिन वह जनता के लिए ही है। यह जानने योग्य बात है कि प्रशासन जनता की समस्याओं को वास्तव में कम कर रही है या नहीं। तहसील दिवस पर सैकड़ों लोग उपस्थित हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यह जानना जरूरी है कि उनकी समस्याओं का निदान हो रहा है कि नहीं। जनता प्रशासन से बात कहने के लिए तहसील दिवस पर उपस्थित हो रही है तो क्या वह सफल हो रहा है ? प्रस्तावित शोध के माध्यम से तहसील दिवस व थाना दिवस की सविस्तार पड़ताल की जाएगी । प्रशासन का जनता के साथ संवाद प्रक्रिया का विस्तार से अध्ययन किया जाएगा जनसंचार के सोध मेन यह एक महत्वपूर्ण कार्य होगा ।

शोध की समस्या :

स्थानीय प्रशासन का जनता के साथ संवाद प्रक्रिया

(वाराणसी जिले के विशेष संदर्भ)

स्थानीय प्रशासन की जनता के साथ संवाद प्रक्रिया को शोध के माध्यम से ज्ञात करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है । क्योंकि शासन की वास्तविक प्रक्रिया को जानना आसान नहीं है और ऐसी प्रक्रिया जिसमें जिले भर की जनता भागीदार हो करी को और दुरूह बनाता है ।

शोध में स्थानीय प्रशासन के क्रिया-कलाप के साथ ही समस्याओं के निराकरण का भी सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाएगा प्रशासन से जुड़े लोगों का साक्षात्कार लेने का भी प्रयास किया जाएगा यह भी एक कठिन करी है । क्योंकि प्रशासन से जुड़े लोग व्यस्त रहते हैं शासन के कार्यों के कारण उनके पास समय का अभाव होता है ।

उपकल्पना:

शोध की उपकल्पना किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर है। उपकल्पना के द्वारा ही शोध की समस्या के संदर्भ में तथ्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। लुण्डवर्ग के अनुसार प्रकल्पना एक सामयिक अथवा कामचलाऊ या सामन्यीकरण या निष्कर्ष है। जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। बिलकुल आरंभिक स्तरों पर प्रकल्पना कोई भी अनुमान, कलात्मक ज्ञान, सहज विचार या और कुछ भी हो सकता है, जो कि क्रिया या अनुसंधान का आधार बन जाता है। प्रस्तुत आध्ययन की उपकल्पना निम्नलिखित है-

1. तहसील दिवस व थाना दिवस स्थानीय प्रशासन का महज दिखावा है।

2. तहसील दिवस व थाना दिवस पर सत्ताधारी पार्टी के लोगों से मुलाकात होती है।

3. तहसील दिवस व थाना दिवस पर समस्याओं का तात्कालिक रूप से निराकरण किया जाता है।

4. तहसील दिवस व थाना दिवस पर सत्ताधारी नेताओं द्वारा भीड़ बुलाई जाती है।

5. तहसील दिवस व थाना दिवस पर जनता अपनी बात अधिकारियों तक सीधे तौर पर पहुँचाती हैं।

6. तहसील दिवस व थाना दिवस की संचालन प्रक्रिया व्यवस्थित है।

उद्देश्य :

शोध अध्ययन की निश्चित बिन्दु रेखांकित करना किसी भी शोध विषय का मूल उद्देश्य होता है इसके अभाव में किसी भी शोध अध्ययन का परिणाम या निष्कर्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता अतः शोध अध्ययन के लिए उद्देश्य महत्वपूर्ण इकाई होती है। प्रस्तावित शोध के निम्न लिखित उद्देश्य हैं-

1. तहसील दिवस व थाना दिवस की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना।

2. तहसील दिवस व थाना दिवस की संचालन प्रक्रिया का अवलोकन करना

4. प्रशासन का भेद-भावपूर्ण भावना से उपर उठकर जनता के साथ संचार प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करना।

5. प्रशासन की जनता के समस्याओं के निराकरण में दिलचस्पी ज्ञात करना।

6. तहसील दिवस व थाना दिवस में सत्ताधारी पार्टी के प्रभाव की जानकारी प्राप्त करना।

7. तहसील दिवस व थाना दिवस द्वारा जनता की संतुष्टि के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

महत्व:

जनसंवाद किसी भी शासन प्रणाली का जनता के साथ सामंजस्य बैठाकर उनकी समस्याओं के निदान का एक बेहतर प्रणाली है। इससे जनता और शासन के बीच एक तारतम्य स्थापित होता है। जो शासन की प्रणाली को सुदृढ़ बनाता है। वाराणसी जिला उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ के स्थानीय प्रशासन से यह उम्मीद की जाती है कि वह जन भावनाओं की अपेक्षा के अनुरूप शासन की मंशा को पूरी करके एक आदर्श स्थापित करे। इस दिशा में वाराणसी जिले में प्रशासन द्वारा आयोजित

तहसील दिवस की वास्तविक स्थिति का पता लगाकर उसे और भी बेहतर बनाने की दिशा में शोध के द्वारा सुझाव देने का सकारात्मक प्रयास किया जाएगा।

शोध प्रविधि:

इस शोध में विभिन्न प्रविधियों तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत का उपयोग किया जाएगा। इसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों विधिओं का प्रयोग किया जाएगा जो निम्नवत है।

- अंतरवस्तु विश्लेषण
- अवलोकन
- साक्षात्कार
- अनुसूची

संभावित अध्याय विभाजन

अध्याय-1- प्रस्तावना एवं शोध पद्धति

अध्याय-2- विभिन्न कालखंडों में जनसंवाद

अध्याय-3- वाराणसी जिला प्रशासन का जनसंवाद

अध्याय-4- मीडिया में तहसील दिवस व थाना दिवस से संबन्धित खबरों का अध्ययन

अध्याय-5- तथ्य संकलन एवं विश्लेषण

अध्याय-6- निष्कर्ष एवं सुझाव

परिशिष्ट

संदर्भ ग्रंथ सूची

संदर्भ ग्रंथ सूची

मुखर्जी, आर.(1990). चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल. नई दिल्ली: राजकमल.

हबीब ई. (2005). अकबर और तत्कालीन भारत. नई दिल्ली: राजकमल.

डब्ल्यू. एच. एम. अनुवादक. सिन्हा सुधाकिरण. अकबर की मृत्यु के समय का भारत. नई दिल्ली: ग्रंथ शिल्पी.

थापर, आर. (2004). सोमनाथ इतिहास एक स्वर अनेक. नई दिल्ली: ग्रंथ शिल्पी.

थापर, आर (1997). वंश से राज्य तक. नई दिल्ली: ग्रंथ शिल्पी.

चौहान, डा. के. बी. सिंह.(2004). हम्मीरासो. जयपुर: ग्रंथ विकास.

मिश्र, अखिलेश.(2007).1857 अवध का मुक्ति संग्राम.नई दिल्ली: राजकमल. लारेंस का दरबार.

वर्नियर, एफ. (2002). वर्नियर की भारत यात्रा. नई दिल्ली: अजय बुक सर्विस.

थापर, आर.(1990). आदिकाल भारत की व्याख्या. नई दिल्ली: ग्रंथ शिल्पी.

जोशी, प्रो. आर. (2008). मीडिया विमर्श. नई दिल्ली. सामयिक प्रकाशन.

तिवारी, डॉ. ए. (2010). आधुनिक पत्रकारिता. वाराणसी. विश्वविद्यालय प्रकाशन.

तिवारी, डॉ. ए. (2004). महात्मा गांधी की पत्रकारिता. इलाहाबाद जय भारती प्रकाशन.

दयाल, डॉ. एम. (2010). मीडिया शोध. पंचकुला. हरियाणा साहित्य अकादमी.

धूलिया, एस. (2001). सूचना क्रांति की राजनीति और विचारधारा. नई दिल्ली.

नटराजन, जे. अनुवादक- आर. चेतनक्रांति. (2002). भारतीय पत्रकारिता का इतिहास. नई दिल्ली. सूचना प्रसारण मंत्रालय.

पत्रिका

आउटलुक

इंडिया टुडे

तहलका

मीडिया मीमांसा

मीडिया विमर्श

समाचार पत्र

दैनिक भास्कर

दैनिक जागरण

नवभारत

लोकमत

वेबसाइट

http://www.bhadas4media.com

http://www.eci.gov.in

http://www.essaydepot.com

http://www.hindimedia.com